


दिनांक 20-08-2018

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा  
मध्य प्रदेश

// आर०के०डी०एफ० मेडिकल कालेज (सत्र 2017-18) के छात्रों का पुनः  
आवंटन किये जाने संबंधी सूचना //

डब्ल्यू०पी० क्रमांक 17158/2018, में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-08-2018 के अनुसार आर०के०डी०एफ० मेडिकल कालेज के छात्रों जिनका सत्र 2018-19 के लिये राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में काउंसिलिंग के माध्यम से पुनः आवंटन एवं प्रवेश किया गया था, इन छात्रों को उनकी श्रेणी की मेरिट एवं छात्र द्वारा की गई च्वाइस फिलिंग के आधार पर पुनः काउंसिलिंग कर आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया करे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पुनः कराई जा रही काउंसिलिंग से संबंधित जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट एवं पोर्टल देखें ।

  
20.08.18  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्य प्रदेश 